बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक ....

संख्या–7/स्था0–1–11–10/2009सा0प्र0..................../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–35370 दिनांक 20.05.2017 द्वारा संसूचित अनुशंसा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील (एस) संख्या–2635/2011, संजीव कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में 29वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, सीवान एवं श्री मनोज कुमार, मुंसिफ, अररिया को खुली मेधा कोटि में अनुत्तीर्ण रहने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–11–10/2009सा0प्र0......................../ पटना–15, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–11–10/2009सा0प्र0 2037 / पटना–15, दिनांक 21/7/17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–35370 दिनांक 20.05.2017 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2017 में मद संख्या–8 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान एवं अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना तथा श्री संजीव कुमार एवं श्री मनोज कुमार को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/17
सरकार के अवर सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/NOTIFICATION